न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1342/2004/श्रीगंगानगर

धन्नेसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रींगंगानगर।

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

...रेस्पोन्डेन्ट्

खण्ड पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।
श्रीमती पूनम माथुर, अति.राज. अभिभाषक, प्रत्यर्थी की ओर से।

———

दिनांकः 11–1–2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2003 जो की न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 80/2000 में पारित किया गया जिसके द्वारा प्रथम अपीलीय द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 161/94 में पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा गया।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 का इस आशय का पेश किया कि रोही मोकलसर के खसरा नम्बर 16 में 30 बीघा बारानी भूमि आराजी काश्त सन् 1955 के बाद के काश्तकारों की श्रेणी में सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन की गई। प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण समय समय पर वादी/अपीलान्ट के नाम से किया जाता रहा है एवं समय समय पर ढालबाछ रजिस्टर में रकम भी वादी/अपीलान्ट के नाम से कायम जाती रही है। परन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त भूमि को रकबा राज कर दी। उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–12–1999 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व

अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपीलान्ट की प्रथम अपील अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2003 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी की इस बात को माना है कि वे विवादित आराजी पर आरजी काश्तकार के रूप में वर्ष 1955 से समय समय पर काश्त करता रहा है परन्तु उसका लगातार कब्जा काश्त नही होना मानते हुए वादी/अपीलान्ट घोषणा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है जबकि वादी द्वारा अपने दावे में यह स्पष्ट लिखा है कि खसरा संख्या 16 में अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा खसरा नम्बर 16 से खसरा नम्बर 16/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा व 16/2 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा बना दिये तथा अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। वकील अपीलान्ट का यह कथन है कि वादी/अपीलान्ट एक टीनेन्ट की परिभाषा में आता है क्योंकि वह विवादित आराजी का लगान लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार को अदा करता है और तहसीलदार ने अपीलार्थी को आराजी काश्तकार के रूप में भूमि को काश्त करने हेतु एक संविदा के रूप में दिया है। उनका यह भी कथन है कि उपनिवेशन विभाग ने वर्ष 2046 में विवादित भूमि को रकबा राज कर दिया है जबकि उन्हें नये खसरा नम्बर बनाने का अधिकार है परन्तु उन्हें अन्य इन्द्राजात को परिवर्तित करने एवं कालम 6 व 16 और 24 में अपीलान्ट का नाम विलोपित करने का अधिकार नहीं है। उनका यह भी कथन है कि वादी/अपीलान्ट खसरा संख्या 15 रकबा 30 बीघा सन् 1955 के बाद काश्तकारों की श्रेणी में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से आवंटित भूमि का काश्तकार है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के नियम 4(एफ) में आरजी काश्तकार को भूमि आवंटन में पात्र माना है। इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के आवंटन नियम 18(1) तथा 20 में अस्थाई आवंटी काश्तकार को भूमि आवंटन हेतु पात्र माना है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है जो विधि विरूद्ध

है। अंत में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5— अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने प्रत्युत्तर में कथन किया है कि अपीलान्ट वर्ष 1955 से पहले विवादित आराजी के काश्तकार खातेदार नहीं थे तथा सम्वत 2046 से यह भूमि आराजी राज दर्ज हुई है। वादी/अपीलान्ट विवादित आराजी पर अपने आपको आरजी काश्तकार मानता है और आरजी काश्तकार घोषणा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील समय बाधित थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये हैं जिनमें द्वितीय अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6— हमनें पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—12—1999 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 1—7—2000 को प्रस्तुत की जो कि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/वादी के वकील उपस्थित थे उन्हें सुनकर ही निर्णय पारित किया गया था। पक्षकार के वकील को जानकारी पक्षकार को जानकारी मानी जायेगी। अपीलान्ट का ऐसा तर्क भी नहीं है कि निर्णय उसे बिना सुने पारित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का सही रूप से खारिज किया गया है। अपीलान्ट/वादी ने उक्त वाद अपने आपको अस्थाई काश्तकार मानकर पेश किया है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी—4 एवं 5 के अनुसार विवादित भूमि रकबा राज दर्ज है एवं अपीलान्ट वर्ष 1955 से पहले विवादित आराजी के काश्तकार खातेदार नहीं थे तथा सम्वत 2046 से यह भूमि आराजी राज दर्ज हुई है।। आराजी राज भूमि पर वादी बतौर काबिज होकर घोषणा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार विस्तृत रूप से निर्णीत किया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये है जिनमें गुणावगुण पर विचारण करने के पश्चात हम द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः यह द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31—12—2003 व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—12—1999 यथावत रखे जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य